रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D. (D.L.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1987/कार्तिक 25, 1909
No. 570] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1987/KARTIKA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

सं. 360/87—सीमाशुल्क

का. आ. सं. 987 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखंड (i) और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत

सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 329-सीमाशुल्क [फा. आ. सं. 865 (अ)] तारीख 28 सितम्बर, 1987 में, निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1)	(2)	(3)
5.	डेनमार्क के क्रोनर	49.05

यह दर 19-11-87 से लागू होगी।"

[फा. सं. 503/5/87-सी. शु.-6]

एस. के. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th November, 1987

NOTIFICATION

No. 360|87-CUSTOMS

S. O. No. 987 (E).—In pursuance of Sub-section (2) of Section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 329-Cus. [S.O. 865(E)], dated 28th September, 1987, namely :—

In the Schedule below the said Notification for serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(1)	(2)	(3)
5.	Danish Kroner	49.05

This rate will be effective from 19-11-1987."

[F. No. 503|5|87-CUS. VI]

S. K. SINHA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987